



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940

No. 155]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 175(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 271

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2019

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **पैरा 2 का संशोधन.**—संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 के आरंभिक भाग में, "और संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988, संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (एक सौ तीनों संशोधन) अधिनियम, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

राम नाथ कोविंद,

राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(1)/2019-वि.1]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 175(E).—The following Order made by the President is published for general information :—**“C.O.271****THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 2019**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President with the concurrence of the Government of State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of paragraph 2.—In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in the opening portion, for the words, brackets and figures “and the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988”, the words, brackets and figures “the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988, the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995 and the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019” shall be substituted.

C.O. 48.

RAMNATH KOVIND
PRESIDENT.”

[F. No. 19(1)/2019-Leg.1]
Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.